RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION RMSC
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141—2228066, फैक्स नः 0141—2228065 ई—मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2018-19/1926 दिनांक : 13/03/2019

कार्यालय आदेश

M/s Origin formulation, 2nd Floor, ECS House, Garden View Corporates, Beside Global Hospital, Sindhu Bhavan Road, Off. S G Highway Ahmedabad – 380054 की निविदा क्रमांक F.02(229)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2017/898 दिनांक 31.07.2017 के तहत औषधि Povidone Iodine ointment 5% 15 gm [221] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 3046 दिनांक 09/03/2018 जारी किया गया था ।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 05 बैच को Assay of Povidone-Iodine Test में अमानक कोटि की घोषित किये गये।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त बैच (05 बैच) को पुनः Assay of Povidone-Iodine Test में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये ? दिनांक 18/09/2018 व 23/10/2018 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति ने निर्णय दिया कि प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः रखा जाए।

Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से 05 बैच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति कि बैठक दिनांक 15.02.2019 को समिति के समक्ष रखा गया तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही हुआ। Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur ने भी औषधि के 04 बैच को अमानक कोटि का घोषित किया है । फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Spurious की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जित दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.8 के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Origin formulation, 2nd Floor, ECS House, Garden View Corporates, Beside Global Hospital, Sindhu Bhavan Road, Off. S G Highway Ahmedabad – 380054 को यह आदेश जारी करने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक